



न्यायालय

## सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं.:- 2016/00221

दर्ज तिथि:-01.08.2016

1. ठाकरा पुत्र मोडा  
जाति जाट निवासी बाण्ड तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।

.....वादी

### बनाम

1. खुमा पुत्र गुलाबा
2. बगताराम पुत्र गुलाबाराम
3. प्रभुराम पुत्र खुमाराम
4. केसाराम पुत्र खुमाराम
5. माला पुत्र जगमाल  
जाति विश्‍नोई निवासी बाण्ड तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।
6. तहसीलदार गुडामालानी

.....असल प्रतिवादी

.....तरतीबी प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री डालूराम

प्रतिवादी - श्री रामजीवन विश्‍नोई

श्री रोशनलाल चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 88,91,53,188

राजस्थान काश्त0 अधिनियम-1955

### :-निर्णय:-

निर्णय तिथि:-24.04.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 425/8.8383 है0 (54 बीघा 12 बिस्वा) वाके ग्राम बाण्ड तहसील नोखड़ा



जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते हैं। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

- वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 02 तथा 05 के अतिरिक्त सभी प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण संख्या 02 तथा 05 ने जबाब दावा मय प्रतिदावा पेश कर निवेदन किया कि उक्त आराजी पर वादीगण व प्रतिवादीगण ने मौके पर वहामी बंटवारा कर रखा है एवं मौके पर लंबे समय से काबिज काश्त है। अतः मौके पर वहामी बंटवारा तथा मौका कब्जा अनुसार के बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस अनुसार बंटवारा किया जावे। प्रकरण में तनकीयात कायम किये गये। प्रकरण में तनकी उभयपक्षकारों के मध्य विभाजन की तनकी पर बहस सुनी गई। अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा दौरान-ए-बहस बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किये जाने पर सहमति प्रदान करने पर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 20.09.2024 को जारी की जाकर तहसीलदार नोखड़ा से कुर्रजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार नोखड़ा द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/93 दिनांक 17.02.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। उक्त कुर्रजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार नोखड़ा द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/93 दिनांक 17.02.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
-------------------------	---------------------

<p><b>21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields.</b> - The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.</p>	<p>प्रकरण में दिनांक 22.01.2025 को तहसीलदार नोखड़ा द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>
<p>प्रकरण में पक्षकारों को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>	<p>1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखड़ा के नोटिस पत्रांक 700-705 दिनांक 13.01.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 22.01.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखड़ा के नोटिस पत्रांक 700-705 दिनांक 13.01.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 22.01.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>

3. प्रकरण में वादी द्वारा कुर्रैजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2052-2075 तथा कुर्रैजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 425/8.8383 है0 (54 बीघा 12 बिस्वा) वाके ग्राम बाण्ड तहसील नोखड़ा जिला बाडमेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण की शामिलती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रैजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन-प्रस्ताव (कुर्रैजात रिपोर्ट) मय नक्शा-ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।
4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा हेतु तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जिन पर विश्लेषण इस प्रकार है:-

**प्रथम- स्वामित्व एवं कब्जा:-** प्रकरण के बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह-काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

**द्वितीय- सुविधा का सन्तुलन:-** प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

**तृतीय- अपूरणीय क्षति:-** प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खातों का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद-रफत में मजाहमत उत्पन्न करे तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 425/8.8383 है0 (54 बीघा 12 बिस्वा) वाके ग्राम बाण्ड तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
मालाराम पुत्र जगराम हि० पूर्ण जाति विश्नोई सा० देह खातेदार	बाण्ड धीमजी	425	2.1691	बा०सो०
कुल किता 01 रकबा 2.1691 है०				
खुमा पुत्र गुलाबा हि० 1/2 केसाराम पुत्र खुमाराम हि० 1/4 प्रभुराम पुत्र खुमाराम हि० 1/4 जाति जाट सा० देह खातेदार	बाण्ड धीमजी	425	2.6029	बा०सो०
कुल किता 01 रकबा 2.6029 है०				
बगताराम पुत्र गुलाबाराम हि० पूर्ण जाति जाट सा० देह खातेदार	बाण्ड धीमजी	425	2.6029	बा०सो०
कुल किता 01 रकबा 2.6029 है०				
ठाकराराम पुत्र मोडाराम हि० पूर्ण जाति जाट सा० देह खातेदार रहन पंजाब नेशनल बैंक शाखा गुडामालानी	बाण्ड धीमजी	425	1.3015	बा०सो०
कुल किता 01 रकबा 1.3015 है०				
बगताराम पुत्र गुलाबाराम हि० 1/2 खुमाराम पुत्र गुलाबाराम हि० 1/2 जाति जाट सा० देह खातेदार	बाण्ड धीमजी	425	0.1619	बा०सो०
कुल किता 01 रकबा 0.1619 है०				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रुकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार नोखडा को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 24.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)  
सहायक कलक्टर  
गुडामालानी-बाड़मेर



न्यायालय

## सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं.:- 2016/00221

दर्ज तिथि:-01.08.2016

1. ठाकरा पुत्र मोडा  
जाति जाट निवासी बाण्ड तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।

.....वादी

**बनाम**

1. खुमा पुत्र गुलाबा
2. बगताराम पुत्र गुलाबाराम
3. प्रभुराम पुत्र खुमाराम
4. केसाराम पुत्र खुमाराम
5. माला पुत्र जगमाल  
जाति विश्नोई निवासी बाण्ड तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।
6. तहसीलदार गुडामालानी

.....असल प्रतिवादी

.....तरतीबी प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता

सत्यमेव वादी:- श्री डालूराम

प्रतिवादी - श्री रामजीवन विश्नोई

श्री रोशनलाल चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 88, 53, 188

राजस्थान काश्त0 अधिनियम-1955

**-:पर्चा डिक्री:-**

दावा वादी अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 425/8.8383 है0 (54 बीघा 12 बिस्वा) वाके ग्राम बाण्ड तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
मालाराम पुत्र जगराम हि० पूर्ण जाति विश्‍नोई सा० देह खातेदार	बाण्ड धीमजी	425	2.1691	बा०सो०
कुल किता 01 रकबा 2.1691 है०				
खुमा पुत्र गुलाबा हि० 1/2 केसाराम पुत्र खुमाराम हि० 1/4 प्रभुराम पुत्र खुमाराम हि० 1/4 जाति जाट सा० देह खातेदार	बाण्ड धीमजी	425	2.6029	बा०सो०
कुल किता 01 रकबा 2.6029 है०				
बगताराम पुत्र गुलाबाराम हि० पूर्ण जाति जाट सा० देह खातेदार	बाण्ड धीमजी	425	2.6029	बा०सो०
कुल किता 01 रकबा 2.6029 है०				
ठाकराराम पुत्र मोडाराम हि० पूर्ण जाति जाट सा० देह खातेदार रहन पंजाब नेशनल बैंक शाखा गुडामालानी	बाण्ड धीमजी	425	1.3015	बा०सो०
कुल किता 01 रकबा 1.3015 है०				
बगताराम पुत्र गुलाबाराम हि० 1/2 खुमाराम पुत्र गुलाबाराम हि० 1/2 जाति जाट सा० देह खातेदार	बाण्ड धीमजी	425	0.1619	बा०सो०
कुल किता 01 रकबा 0.1619 है०				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 24.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)

सहायक कलक्टर  
गुडामालानी-बाडमेर